Non Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date 26/02/2019

Certificate No. JAZ2019B9

GRN No. 44619980

Stamp Duty Paid ₹ 19440 (Rs. Only)

Penalty : ₹ 0 (Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Bhrapai widow Etc

H.No/Floor : 0 Sector/Ward : 0 LandMark : Pana chulyan

City/Village : Beri District : Jhajjar State : Haryana

Phone: 9416474587

2766

Buyer / Second Party Detail

Name : Jai singh

H.No/Floor : 0 Sector/Ward : 0 LandMark : Pana chulyan

City/Village: Beri District : Jhajjar State : Haryana

Phone : 9416474587

Purpose : Lease deed of village beri dopana

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

रजिस्ट्रेशन फीस–1000/–रूपये व GRN NO.

पेस्टिग फीस– 2/–रूपये दिनांक–

पटटाकर्तागण का नाम आधार न0–

श्रीमती भरपाई 777281658811

श्रीमती ईश्वन्ती 516867049660

जयकवांर 985201379118

पटटेदारान का नाम

जय सिंह

390302273294

RTI
भरपाई

प्रलेख न: 2766 दिनॉक 28/02/2019

डीड सबंधी विवरण

डीड का नाम LEASE

तहसील/सब तहसील बेरी

गांव/शहर बेरी दोपाना

धन सबंधी विवरण

राशि जिस पर स्टाम्प डयूटी लगाई 216,000.00 रुपये स्टाम्प डयूटी की राशि 19,440.00 रुपये

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 5,000.00 रुपये E-Challan No.00446787[illegible] पेस्टिंग शुल्क 2.00 रुपये

Drafted By: गजान्नद ऐरण

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनॉक 28/02/2019 दिन गुरूवार समय 3:10:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी भरपाई पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी हजारी निवासी बेरी दोपाना द्वारा पँजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

हस्ता[illegible]स्तुतकर्ता

श्री भरपा[illegible] जयकवार

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
बेरी

उपरोक्त पटटा देने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी जय सिंह पटटा लेने वाला हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यो को दोनो पक्षो ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया। दोनो पक्षो की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी राजपाल पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री नर सिंह निवासी बेरी दोपना व श्री/श्रीमती/कुमारी पवन पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी अनुप सिंह निवासी बेरी दोपाना ने की।

साक्षी न: 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप मे जानते है तथा वह साक्षी न: 2 की पहचान करता है।

दिनॉक 28/02/2019

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
बेरी

यह प्रमाणित किया जाता हे कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है ।

उप / सयुँक्त पँजीयन अधिकारी
बेरी

पट्टा नामा अराजी जरई (वास्ते लगाने पैट्रोल पम्प **C.N.G. PUMP**)

वार्षिक जर्रे पट्टा – 216000/–रूपये

अवधी –30 वर्ष

ई–स्टाम्प/रसीद –19440/–रूपये

सर्टिफिकेट न0 JAZ2019B9 व GRN NO. 44619980 दिनांक 26–02–2019।

श्रीमती भरपाई विधवा व श्रीमती ईश्वन्ती पुत्री व जयकवांर पुत्र हजारी पुत्र भगवान सिंह निवसीयान बेरी दो पाना पाना चुल्यान तहसील बेरी जिला झज्जर ।

प्रथम पक्ष/पटटाकर्ता

जय सिंह पुत्र पूर्णमल पुत्र हुक्मचन्द निवासी बेरी दो पाना पाना चुल्यान तहसील बेरी जिला झज्जर।

द्वितीय पक्ष/पटटेदार

यह कि भूमि खेवट न0 284/262 खाता न0 323/298 किते 8 रकबा तादादी 37 कनाल 5 मरले का 1/6 भाग रकबा बकदर 6 कनाल 4 मरले 1 सरसाई स्थित बेरी दो पाना तहसील बेरी जिला झज्जर मिलकियत व मकबुजा बरूये मन्द्रजा फर्दजमाबन्दी साल 2014–15 समभाग प्रथम पक्ष की बिला भार पाक व साफ है। इसमें किसी और का कोई भाग नही है और प्रथम पक्ष को इसे पट्टे पर देने का पूरा अधिकार है।

यह कि अब प्रथम पक्ष ने अपनी उक्त भूमि रकबा 6 कनाल 4 मरले 1 सरसाई को मुब0 216000/–रूपये (दो लाख सोलह हजार रूपये) वार्षिक जर्रे पट्टा के हिसाब से द्वितीय पक्ष को वास्ते लगाने पैट्रोल पम्प **C.N.G. PUMP** 30 वर्ष की अवधी हेतू पट्टे पर दे दी है और अपना वार्षिक जर्रे

R.T.I
भरपाई

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
2,766	2018-2019	1

पटटा देने वाला

पटटा लेने वाला

गवाह

उप /सयुँक्त पंजीयन अधिकारी

पटटा देने वाला	भरपाई
पटटा देने वाला	ईशवन्ती
पटटा देने वाला	जयकवार
पटटा लेने वाला	जय सिह
गवाह	राजपाल
गवाह	पवन

पट्टा मुब0 216000/–रूपये (दो लाख सोलह हजार रूपये) में से मुब0 100000/–रूपये (एक लाख रूपये) नकद बतौर पेशगी द्वितीय पक्ष से वसूल पा लिये है व शेष मुब0 116000/–रूपये (एक लाख सौलह हजार रूपये) छह महीने बाद द्वितीय पक्ष से वसूल करेगें , शेष प्रत्येक वर्ष अपना वार्षिक लगान लेते रहेगें और रसीद देता रहेगें , बगैर रसीद लगान मान्य ना होगा। दोनों पक्षों के मध्य निम्नलिखित शर्ते निश्चित हुई है:–

1. यह कि पट्टे की अवधि दिनांक 27–02–2019 से आरम्भ होकर दिनांक 26 –02–2049 को समाप्त हो जावेगी।

2. यह कि कब्जा व दखल प्रथम पक्ष की अपनी– अपनी हिस्सेदारी मिलकियत व मकबुजा मुस्ततील व कीला न0 89//19 मिन जोकि बेरी – दुजाना रोड के साथ लगती है (6–4–1) पर द्वितीय पक्ष का करा दिया है।

3. यह कि पट्टे की अवधि के दौरान द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर पैट्रोल पम्प लगावें,दफतर बनावें या किसी और को आगे पट्टे पर दे , लोन लेवें, बिजली कनैक्शन लेवें , टयूबवैल लगावें और जैसे **C.L.U.** और **N.O.C.** आदि कराने की बाबत पट्टाकर्तागण हस्ताक्षर करने के पाबन्द रहेगें और इसका कोई अलग से खर्चा नही लेगें तथा पटटेदारान जिस तरह से चाहे इस्तेमाल करें, प्रथम पक्ष को कोई उजर व एतराज नही होगा।

4. यह कि पट्टे की अवधि के दौरान प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के कार्य में कोई रूकावट नही करेगा।

5. यह कि पटटे की अवधि के दौरान हर पॉच वर्ष बाद किराया में 10 प्रतिशत की वृद्धि मानी जावेगी।

6. यह कि गुजरने म्यांद दिनांक 26–02–2049 को द्वितीय पक्ष उक्त भूमि से अपना सामान, मलबा इत्यादि उठा लेगा और कब्जा व दखल प्रथम पक्ष/मालिक का करा देगा।

7. यह कि किसी कारणवश द्वितीय पक्ष/पटटेदारान को पैट्रोल पम्प अलाट नही होता है तो दोनों पक्ष अपनी – अपनी सहमति से उक्त पटटानामा को रदद करने के पाबन्द होगे।

8. यह कि उक्त भूमि का किराया पैट्रोल पम्प के तेल डालने के कार्य से आरम्भ होगा।

R.T.I
अरपाई

9. यह कि द्वितीय पक्ष / पटटेदार उक्त भूमि को पैट्रोल पम्प **C.N.G. PUMP** को लीज पर देने का हक हासिल होगा।

10. यह कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से इस पटटे की अवधि बढा सकेगें।

11. यह कि दोनों पक्षों के वारसान व कायमकामान भी इस पटटानामा की तमाम शर्तो के पाबन्द रहेगें।

अतः यह पटटानामा दोनों पक्षों ने अपनी – अपनी स्वस्थ चित व स्थिर बुद्दि की अवस्था मे बिना किसी दबाव व आग्रह के अपनी – अपनी प्रसन्नता से लिख दिया कि प्रमाण रहें कि दिनांक 27–02–2019 तदानुसार 8 फाल्गुन 1940 शाका वार बुधवार बेरी।

श्रीमती भरपाई	श्रीमती ईश्वन्ती	जयकवांर	जय सिंह
प्रथम पक्ष	प्रथम पक्ष	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष

साक्षी 1 साक्षी 2

दस्तावेज पढ कर सुना व समझा दिया है।

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
2,766	2018-2019	1

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 2,766 आज दिनाँक 28/02/2019 को बही नः 1 जिल्द नः 1 के पृष्ठ नः 195 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 1,955 के पृष्ठ सख्या 16 से 19 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनाँक 28/02/2019

उप / सयुंक्त पंजीयन अधिकारी

बेरी

बेरी (झज्जर)